आदेश
बारे में हि

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 04/2022–23

दिलीप राम...आवेदक

बनाम

ब्रहमदेव राम एवं अन्य...विपक्षी

आदेश

24.06.2022

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के वाद सं0–96/2006–07 में पारित आदेश दिनांक–21.10.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा भोरनडीहा एक प्रधानी मौजा है। काफी दिनों तक खास रहने के कारण पी0ए0 वाद सं0–96/2006–07 में आदेश दिनांक–02.04.2008 द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत 2/3 रैयतों के सहमति के आधार पर आवेदक को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अ0 वाद सं0–15/2008–09 दायर किया गया। इस अपील वाद में आदेश दिनांक–02.04.2008 को आदेश पारित किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रति प्रेषित किया गया कि "पुनः संशोधित सूची प्राप्त कर 2/3 रैयतों की उपस्थिति में प्रधान की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।" तत्पश्चात् पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में वाद की कार्रवाई करते हुए विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिवीजन आवेदन दायर किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) निम्न न्यायालय द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के सिंद्धांतो का अनुपालन किये बिना ही विपक्षी को प्रधान नियुक्त किया गया है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि वर्तमान समय में कितने जमाबंदी रैयत है ?

(3) मतदान नियमानुसार नही किया गया है, रैयत के नाम के सामने Tick Marks (चिन्ह) लगाया गया। जबकि मात्र 12 रैयत ही उपस्थित थे। उनमें से विश्वनाथ हाँसदा सरकारी कर्मचारी है, उपस्थित नहीं था। उनका उपस्थिति भी दिखलाया गया है।

(4) प्रधान नियुक्ति में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम मेनुअल के रूल्स "क्लाउज" 3 एवं 4 का अनुपालन नहीं किया गया है।

उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख तथ्य निम्न प्रकार है :-

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि विज्ञ उपायुक्त दुमका के पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से अद्यतन जमाबंदी रैयतों की सूची की मांग की गई एवं पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक-713/रा0 दिनांक-24.08.2021 द्वारा अद्यतन जमाबंदी रैयत का सूची प्राप्त है। नोटिस का तामिला प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से प्राप्त मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची के आधार पर दिनांक-21.10.2021 को मतदान कराया गया। सूची के अनुसार वर्ततान रैयतों की संख्या 20 है। मतदान के समय 16 रैयत उपस्थित थे जो दो तिहाई जमाबंदी रैयत से अधिक है। विपक्षी को 16 रैयतों द्वारा समर्थन देने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

<u>प्रावधान</u>

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.- On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the

jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

Santhal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950- Rule-3-

(1) On receipt of an application from a *raiyat* or a landlord under section 5, the Deputy Commissioner shall issue notice to the *jamabandi raiyats* of the village and to the landlord in Form A.

(2) The consent of at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village fail to be present the Deputy Commissioner shall fix another date and issue fresh notices in the manner prescribed in sub-rule 3 (1), if on the date so fixed, at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under section 5.

(3) The decision of the Deputy Commissioner as to whether a person is entitled to vote or not shall be final.

(4) If at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* give their consent for appointment of headman for the village, the Deputy Commissioner shall at once invite nomination for the appointment of headman and proceed to make the appointment.

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् 16/–रैयतों को नाटिस का तामिला नहीं कराया गया है। फलस्वरूप प्रधान पद पर उम्मीदवार अपने –अपने समर्थन में रैयतों के साथ उपस्थित नहीं हो पाए। संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) Rules-1950 के Rules 3 एवं 4 के अनुसार मौजा के 16 आना रैयतों प्रपत्र-A में नोटिस तामिला

किया जाना एवं 2/3 रैयतों की सहमति के आधार पर प्रधान पद की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धारा–5 एवं संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के रूल्स एवं सिद्धांत का अनुपालन किये बिना ही विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नहीं है तथा पुर्नविचारणीय है।

आदेश

उपर्युक्त उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में वाद को अंगीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पुर्नविचार हेतु इस निदेश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के सिद्धांतो एवं संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) 1950 के नियमों को पालन करते हुए प्रधान की नियुक्ति की जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

158 ...1/9/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 14:53:05 +05:30
Location: 169.254.227.244